बिहार सरकार

# सहकारिता विभाग

गाँव-घर, खेत-खलिहान का समग्र विकास सहकारिता के साथ

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2017-18

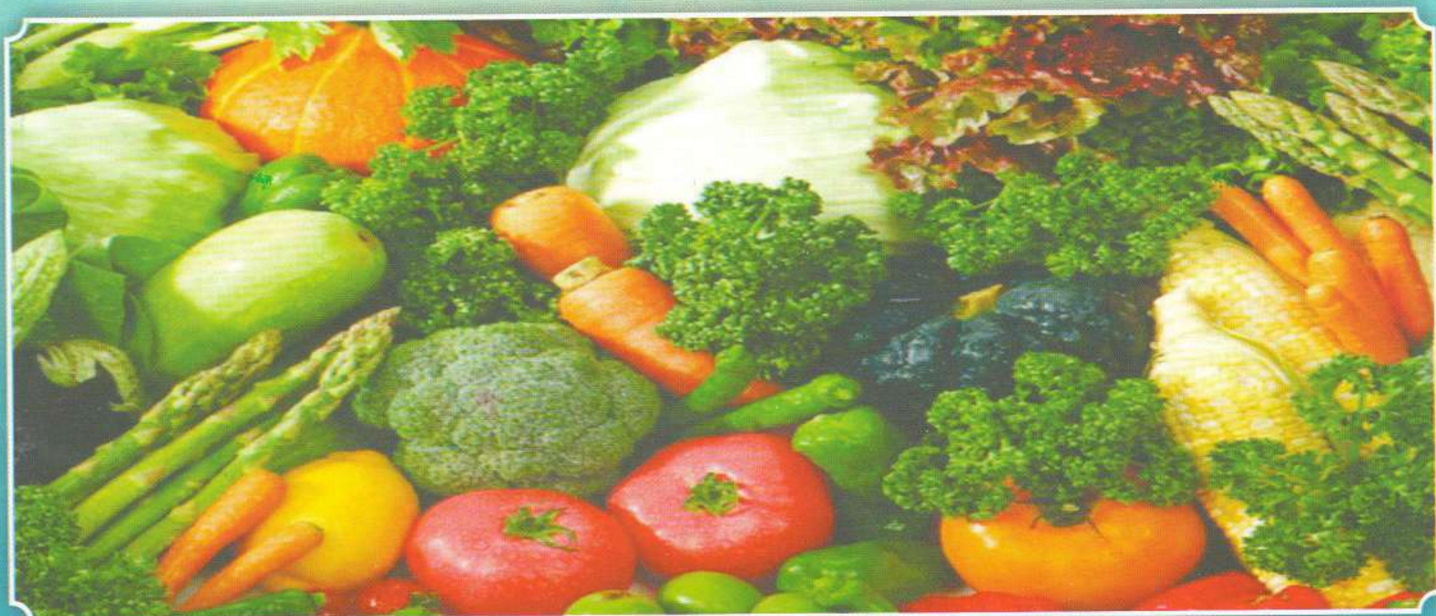

बिहार सरकार

# सहकारिता विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2017-18

# परिदृश्य

सहकारिता विभाग का वर्ष 2017–18 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारिता एक सशक्त माध्यम है इसलिये ''भारतीय संविधान के 97–वे संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी–समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी–समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौपा गया है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्तमान समय की माँग है। वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना एवं फसलों की क्षति होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना आदि कार्य किया जा रहा है।

राज्य के अधिकतम कृषकों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुँचे तथा अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता हो इस उद्देश्य से कृषकों का "online" निबंधन एवं पर्यवेक्षण / अनुश्रवण के साथ–साथ "RTGS/NEFT" के माध्यम से भुगतान उनके बैंक खाता में करने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार राज्य में वैसे कृषकों से भी धान की अधिप्राप्ति कर रही है जो किसी अन्य के भूमि पर धान का उत्पादन करते है। ऐसे गैर–रैयती कृषक (बटाईदार किसान आदि) से अधिकतम 75 क्विन्टल धान की अधिप्राप्ति की जा रही है।

राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल 600 करोड़ रुपये की राशि बिहार राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया गया है इस प्रयोजन के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० को राज्य सरकार की गारंटी पर 500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण नाबार्ड एवं अन्य सहकारी संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष धान में नमी की मात्रा अधिक पाये जाने के कारण राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के द्वारा नमी की मानक मात्रा को 17% से बढ़ाकर 19% की गई है।

धान अधिप्राप्ति के व्यवसाय में लगे पैक्सों एवं व्यापार मंडलों की उत्साहवर्द्धन के उद्देश्य से पैक्सों को आपूर्ति की गई चावल का 10 रू० प्रति क्विन्टल, जिला सहकारी अधिकोष को 5 रू० प्रति क्विन्टल तथा राज्य सहकारी बैंक को 0.50 रू० प्रति क्विन्टल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था की गई है। साथ ही अधिप्राप्ति कार्य के लिए सहकारी बैंकों द्वारा पैक्सों को प्रदत्त ऋण की राशि पर लगने वाले व्याज दर को 9% से घटाकर 7% करने पर विचार किया जा रहा है, जो पैक्सों के लिए लाभकारी होगा।

राज्य के पैक्सों में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के प्रयोजन से ''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना'' लागू की गई है। जिसके तहत पैक्स वित्तीय प्रबंधन, विकास कार्यों के प्रबंधन, व्यापार बढ़ावा एवं सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन आदि निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पैक्सों को क्रमशः 10, 07 एवं 05 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना है। पैक्सों में कर्मियों के कार्यों की क्षमता में वृद्धि एवं पारदर्शिता तथा पैक्सों के कार्यों का पर्यवेक्षण मुख्यालय एवं जिला स्तर से भी सहजता से होने के उद्देश्य से प्रथम चरण में करीब 1000 पैक्सों के कम्प्यूटराईजेशन किये जाने की योजना है।

सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन बना रहे इस उद्देश्य से विभागीय अंकेक्षकों एवं सनदी लेखाकारों की सहायता से लगभग 90 प्रतिशत पैक्सों का अंकेक्षण करा लिया गया है।

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जन–भागीदारी है। जन–भागीदारी के लिये पैक्सों में सदस्यता का आवेदन ''ऑन–लाईन'' प्राप्त किया जा रहा है। सदस्यता हेतु ऑन–लाईन आवेदकों की संख्या अभी तक 1.15 लाख हो गई है।

राज्य में सब्जी उत्पादक के उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य पर तथा अधिक गुणवत्ता के साथ सब्जी उपलब्ध हो, के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य–संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के पाँच जिलों यथा वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालन्दा एवं पटना में प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ का गठन प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सब्जी उत्पादकों की करीब 83 प्राथमिक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा फसल की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति हेतु किसानों के हित में प्रधान मंत्री फसल–बीमा योजना लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए अब तक क्रमशः 11.57 लाख तथा 10.84 लाख किसानों का फसल–बीमा कराया गया है।

राज्य के सभी व्यापार मंडल एवं पैक्सों के पदधारकों की कार्य क्षमता निर्माण एवं वृद्धि के उद्देश्य से 1.08 लाख पदधारकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु 32.34 करोड़ रुपये का एक रोड मैप बर्ड लखनऊ की संस्थान–सी०पेक० से तैयार कराई गई है, जिसे आगामी निर्वाचन में आने वाले नव–निर्वाचित पदधारकों के लिए लागू किये जाने की योजना है।

इस प्रकार, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

राणा रणधीर

(राणा रणधीर)

# विषय सूची


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावना | 1 - 2 |
| 2 | विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ | 3 - 4 |
| 3 | योजनायें एवं उपलब्धियाँ | 5 - 18 |
| | i. समेकित सहकारी विकास परियोजना | 5 - 10 |
| | ii बिहार राज्य त्रिस्तरीय सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना | 11 |
| | iii फसल बीमा | 12 - 13 |
| | iv अधिप्राप्ति | 14 |
| | v कृषि रोड मैप (2017–22) | 15 |
| | vi भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि | 16 |
| | vii धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना | 16 |
| | viii ड्रायर की स्थापना | 17 |
| | ix सहकार भवन | 17 |
| | x वार्षिक योजना | 18 |
| 4 | सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ | 19 - 22 |
| | i. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा) | 19 |
| | ii. राज्य सहकारी बैंक लि॰ | 20 |
| | iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ | 21 |
| | iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) | 22 |
| 5 | सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण | 23 |
| 6 | महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान | 24 - 25 |
| | i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा | 24 |
| | ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ | 24 |
| | iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰ | 25 |
| | iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार | 25 |
| | v प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार | 25 |
| | vi. व्यापार मंडल | 25 |
| 7 | बिहार राज्य भंडार निगम | 26 - 28 |
| 8 | सहकारिता विभाग में आई॰टी॰ का समावेश | 29 |
| परिशिष्ट– I | विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ | 30 |
| परिशिष्ट– II | राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या | 31 |
| परिशिष्ट– III | विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन | 32 - 33 |
| परिशिष्ट– IV | विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना | 34 |
| परिशिष्ट– V | सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय | 35 - 36 |

# 1. प्रस्तावना

वर्ष 2017–18 में सहकारिता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के ''न्याय के साथ समग्र विकास'' की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु आपके समक्ष उपस्थापित है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। सहकारी अर्थव्यवस्था आर्थिक जगत के निजी अर्थव्यवस्था एवं सरकारी अर्थव्यवस्था के बीच एक मध्यम मार्ग है। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के दौर में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से समावेशी विकास आवश्यक है। इस कड़ी में समाज के वंचित वर्ग, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने हेतु वर्त्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विभाजन के पश्चात् राज्य के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार कृषि और कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्र है।

सहकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में कृषि रोड–मैप के माध्यम से वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। चूँकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है, जिसकी उपेक्षा कर सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी–नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाया गया है। सहकारिता को और जनोपयोगी बनाने के लिये अनेक संस्थागत सुधार किए गए हैं तथा सहकारिता के कार्यकलापों को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं।

बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसके अंतर्गत निबंधित समितियों में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वतंत्र एवं पारदर्शी रूप से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जा रहा है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है, वे निम्नवत हैं :–

- भारत के संविधान में किये गये 97वें संशोधन के अनुरूप बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रावधान में संशोधन किये गये हैं। सहकारी समितियों के प्रबंधन में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ–साथ 50% स्थान क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं के लिये सुरक्षित किये गये हैं।
- पैक्सों को व्यापक जनाधार वाली संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में दिनांक 30.01.2018 तक 1,18,750 आवेदन सदस्यता हेतु प्राप्त हुए हैं। साथ ही, पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (PACS) में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर जनतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियाँ अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निबंधित सभी प्रकार की कार्यरत सहकारी समितियों का बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की गई है।
- खरीफ 2016 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) बन्द कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत खरीफ मौसम 2017 में 11,57,181 किसानों को बीमित किया गया है। तथा कुल बीमित राशि 5387.45 करोड़ रू. है।
- वर्ष 2017–18 में 80 पैक्स/व्यापार मण्डल में 2 M T क्षमता चावल मिलो की स्थापना ड्रायर के साथ किया

जाना है। 40 पैक्स / व्यापार मण्डल में पूर्व से स्थापित चावल मिलो में भी 12 MT क्षमता के ड्रायर की स्थापना की जायेगी।

- वर्ष 2012–17 में कुल 440 राईस मिल सह गैसीफायर बनाने की स्वीकृति विभाग ने दी है और 354 राईस मिल सह गैसीफायर का निर्माण हो चुका है। राज्य में विद्युत– व्यवस्था में उतरोत्तर सुधार को देखते हुए अब विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर सहित स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु बिहार कृषि रोड मैप योजना अतंर्गत वितीय वर्ष 2012–17 तक बिहार राज्य भण्डार निगम के लिए 10.00 लाख मे॰ टन भंडारण की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 2017–18 तक 2.60 लाख मे॰ टन गोदाम क्षमता का वृद्धि हो चुका है और 50000 मे0 टन का गोदाम मार्च, 2018 तक पूर्ण होने की प्रबल संभावना है।
- वर्ष 2012–17 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत पैक्स / व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता के सृजन का लक्ष्य 10.75 लाख मै0 टन निर्धारित की गयी हैं इस लक्ष्य के अनुरूप कुल 3513 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गयी है। सम्प्रति कुल 3145 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं एवं भंडारण क्षमता में 7.257 लाख मे0 टन का वृद्धि हुआ है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में दिनांक 15.02.2018 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 5.38 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है।
- मुख्यमंत्री नवाचार योजना अन्तर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन हेतु सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न जिलों में 83 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियों का निबंधन किया गया है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों / व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इस परियोजनान्तर्गत गोदाम निर्माण, चावल मिल एवं गैसीफायर का भी निर्माण कराया जा रहा हैं साथ ही रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम, प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा पणन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यो के लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में सहायता देने का प्रावधान है।
- मानव संसाधन के विकास हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के 10 जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है तथा 16 जिलों में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं सभी सहकारी बैंको द्वारा Core Banking Solution (CBS) के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। राज्य के सहकारी बैंको की कार्य–कुशलता को अन्य व्यवसायिक बैंको के समतुल्य बनाने के उदेश्य से भारत की प्रतिष्ठित संस्थान आई0 बी0 पी0 एस0 के माध्यम से वर्ष 2016 में 436 सहायक एवं अब तक कुल 123 सहायक–प्रबंधक एवं 697 सहायकों की सीधी नियुक्ति की गयी है। राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिये 74 ए0 टी0 एम0 एवं 500 माईक्रो ए0 टी0 एम0 का सफल संचालन किया जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय हैं कि नाबार्ड से राज्य के सहकारी बैंकों में कुल 136 ए0 टी0 एम0 एवं 715 माईक्रो ए0 टी0 एम0 स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे / किसान क्रेडिट कार्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए0 टी0 एम0 कार्ड वितरित किया गया है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई है।

# 2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

| क्र.सं. | योजना | बीमित कृषको की संख्या | बीमित राशि / उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | | |
| | (क) खरीफ 2017 | 11,57,181 | 5387.45 करोड रू. का फसल बीमित |
| 2 | अधिप्राप्ति | | |
| | (क) खरीफ 2016—17 मौसम (धान) / (सी.एम.आर.) | 6598 पैक्स / व्यापारमंडल द्वारा | 18.42 लाख मे.टन धान 12.18 लाख मे. टन सी.एम.आर. |
| | (ख) खरीफ 2017—18 मौसम (धान) | | 5.38 लाख मे.टन (15.02.2018 तक) |
| 3 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / राज्य योजना | | |
| | (क) वर्ष 2016—17 में पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण हेतु | लक्ष्य (राज्य योजना) 419 | उपलब्धि (राज्य योजना, RKVY एवं ICDP) 333 पूर्ण (बैकलॉग सहित) |
| | (ख) वर्ष 2016—17 में पैक्स / व्यापार मंडल में गैसीफायर—सह—चावल मिल की स्थापना हेतु | 50 | 62 (पूर्ण) (बैकलॉग सहित) |
| 4 | कृषि रोड मैप | | |
| | (क) वर्ष 2017—18 में गोदाम निर्माण | लक्ष्य — 914 | लक्ष्य 127.96 करोड़ रू., स्वीकृत 68.18 करोड़ रू. (प्रक्रियाधीन) |
| | (ख) वर्ष 2017—18 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना | 80 पैक्स एवं व्यापार मंडल 13 (वर्ष 2016—17 का वर्ष 2017—18 का पुनर्वेधीकरण) | लक्ष्य 61.96 करोड रू., स्वीकृत 61.96 (प्रक्रियाधीन) 13 समितियों का 7.7285 करोड़ रूपया जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। |
| | (ग) वर्ष 2015—17 तक बिहार राज्य भंडार निगम को 3.20 लाख मे. टन क्षमता गोदाम निर्माण हेतु | —— | राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड से ऋण लेकर निगम को उपलबध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |
| 5 | अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण | | |
| | (क) 2017—18 खरीफ मौसम हेतु (19.01.18 तक) | 77914 सदस्य | 14304.07 लाख रू. वितरित |
| | (ख) 2016—17 रब्बी मौसम हेतु (19.01.18 तक) | 43274 सदस्य | 12447.09 लाख रू. वितरित |
| 6 | **किसान क्रडिट कार्ड का वितरण (12.01.18 तक)** | 982717 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत | 138683.42 करोड रू. स्वीकृत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **समेकित सहकारी विकास परियोजना** | | | |
| | (क) कार्यान्वित किये जा रहे जिले | वैशाली नालंदा, जहानाबाद, अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ। | | 61,833.54000 लाख रू० की लागत से |
| | ख) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है। | 16 जिला लखीसराय, जमुई, अरबल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा, शेखपुरा एवं समस्तीपुर। | | |
| 8 | **समेकित सहकारी विकास परियोजना का भौतिक उपलब्धि** | | | |
| | (क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये गये जिलों में) | 968 | | |
| | (ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में) | 624का कार्यादेश निर्गत 451 पूर्ण | | |
| | (ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये गये जिलों में) | 74 | | |
| | (घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में) | 24 का कार्यादेश निर्गत 20पूर्ण | | |
| | (ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य | कार्यान्वित जिले में 151388 | कार्यान्वित की जा रही जिले में 468 (दिसंबर 2017 तक) | |
| 9 | समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि **(वर्ष 2017–18)** | 106205.41 लाख का व्यवसाय (दिसंबर 17 तक) | | |

# 3. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

## i. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से परियोजनाएँ चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों / व्यापार मंडलों में :–

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है।

इस योजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात लगभग 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी है। योजना से कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

# समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
## पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

### 1. परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रु० में)

| क्रम | जिला का नाम | ऋण | हिस्सा पूंजी | अनुदान | कुल योग | कुल व्यय 31.08.2017 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गोपालगंज | 295.62 | 631.62 | 292.00 | 1,219.24 | 1,153.91 |
| 2 | मधुबनी | 287.65 | 704.47 | 212.80 | 1,204.92 | 1,179.07 |
| 3 | गया | 313.34 | 607.68 | 215.39 | 1,136.41 | 1,059.18 |
| 4 | सीतामढ़ी | 299.15 | 517.70 | 218.63 | 1,035.48 | 1,019.67 |
| 5 | आरा | 304.68 | 645.95 | 162.60 | 1,113.23 | 1,080.76 |
| 6 | छपरा | 280.60 | 673.50 | 205.62 | 1,159.72 | 1,068.98 |
| 7 | सीवान | 296.57 | 683.08 | 164.57 | 1,144.22 | 1,090.67 |
| 8 | कैमूर | 750.72 | 40.77 | 337.11 | 1,128.60 | 1,084.55 |
| 9 | खगड़िया | 1,055.25 | 68.49 | 468.11 | 1,591.85 | 1,183.55 |
| 10 | शिवहर | 698.80 | 131.28 | 355.27 | 1,185.35 | 984.00 |
| | कुल योग : | **4,582.38** | **4,704.54** | **2,632.10** | **11,919.02** | **10,904.34** |

### 2. गोदाम निर्माण

| क्रम | जिला का नाम | पैक्स गोदाम निर्माण | | व्यापार मंडल गोदाम निर्माण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल लक्ष्य | उपलब्धि (31.12.2017 तक) | कुल लक्ष्य | उपलब्धि (31.12.2017 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | गोपालगंज | 130 | 130 | 9 | 9 |
| 2 | मधुबनी | 110 | 110 | 12 | 12 |
| 3 | गया | 118 | 114 | 12 | 9 |
| 4 | सीतामढ़ी | 100 | 91 | 12 | 10 |
| 5 | आरा | 105 | 104 | 16 | 14 |
| 6 | छपरा | 104 | 99 | 14 | 10 |
| 7 | सीवान | 100 | 98 | 15 | 10 |
| 8 | कैमूर | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 9 | खगड़िया | 81 | 71 | 3 | 0 |
| 10 | शिवहर | 46 | 46 | 0 | 0 |
| | कुल योग : | **968** | **937** | **93** | **74** |

## 3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु॰ में)

| क्रम | व्यवसाय का प्रकार | वर्ष 2016–17 (मार्च 17 तक) | वर्ष 2017–18 (अगस्त 17 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कृषि (खाद एवं बीज) | 1,418.72 | 777.84 |
| 2 | अधिप्राप्ति | 1,391.02 | - |
| 3 | उपभोक्ता/पी॰डी॰एस॰ | 314.08 | 349.45 |
| 4 | जमा वृद्धि | 45.10 | 94.30 |
| 5 | उपभोक्ता ऋण | 27.40 | 66.10 |
| कुल योग : | | **3,196.32** | **1,287.69** |

## 4. प्रशिक्षण

| क्रम | प्रशिक्षण | परियोजना प्रारंभ से समापन तक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रबंधक | 1283 |
| 2 | अध्यक्ष | 1510 |
| 3 | कार्यकारिणी सदस्य | 17582 |
| 4 | सामान्य सदस्य | 129821 |
| 5 | अन्य | 1192 |
| कुल योग : | | **151388** |

# समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
## वर्त्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

### 1. परियोजना लागत, प्राप्त एवं व्यय

(राशि लाख रु॰ में)

| क्रम | जिला का नाम | कुल लागत राशि | | | | कुल प्राप्त राशि | कुल व्यय 31.03.2017 तक | कुल व्यय 2017–18 (दिसम्बर 17 तक) | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ऋण/चक्रीय पूंजी | हिस्सा पूंजी/एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त | अनुदान | कुल योग | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | वैशाली | 2,664.69000 | 334.12500 | 1,217.93500 | 4,216.75000 | 4,118.35000 | 2,816.78000 | 370.51000 | 3,187.29000 |
| 2 | नालंदा | 2,070.51200 | 293.95000 | 916.75800 | 3,281.22000 | 3,184.97000 | 2,140.84000 | 193.88000 | 2,334.72000 |
| 3 | जहानाबाद | 605.07500 | 415.84500 | 431.31000 | 1,452.23000 | 1,325.52000 | 389.26500 | 458.77300 | 848.03800 |
| 4 | अररिया | 1,572.55000 | 826.52500 | 1,108.27500 | 3,507.35000 | 3,327.71000 | 1,110.26000 | 587.13000 | 1,697.39000 |
| 5 | मोतिहारी | 4,157.35000 | 2,316.92000 | 2,377.46000 | 8,851.73000 | 8,435.33000 | 1,751.43000 | 1,579.04000 | 3,330.47000 |
| 6 | औरंगाबाद | 5,422.02000 | 2,857.26000 | 3,029.26000 | 11,308.54000 | 2,775.74000 | 16.60000 | 2,053.33000 | 2,069.93000 |
| 7 | बेगूसराय | 2,903.81500 | 1,486.51800 | 1,846.23200 | 6,236.56500 | 1,484.18700 | 91.68000 | 40.33900 | 132.01900 |
| 8 | बेतिया | 3,925.66750 | 1,999.28375 | 2,397.17375 | 8,322.12500 | 2,073.77000 | 12.07000 | 210.73200 | 222.80200 |
| 9 | दरभंगा | 4,050.70000 | 2,025.35000 | 2,483.13000 | 8,559.18000 | 2,058.98000 | 18.53000 | 666.18500 | 684.71500 |
| 10 | पूर्णियाँ | 2,633.62000 | 1,363.68500 | 1,689.54500 | 5,686.85000 | 1,403.73000 | 10.15000 | 75.12000 | 85.27000 |
| 11 | रा॰अनु॰को॰ | - | - | 411.00000 | 411.00000 | 197.20000 | 197.20000 | - | 197.20000 |
| कुल योग : | | 30,005.99950 | 13,919.46175 | 17,908.07875 | 61,833.54000 | 30,385.48700 | 8,554.80500 | 6,235.03900 | 14,789.84400 |

### 2. गोदाम निर्माण

| क्रम | जिला का नाम | पैक्स गोदाम निर्माण | | | व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गोदाम निर्माण का लक्ष्य | कार्यादेश निर्गत | कार्य प्रारंभ/पूर्ण | गोदाम निर्माण/मरम्मति का लक्ष्य | कार्यादेश निर्गत | कार्य प्रारंभ/पूर्ण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | वैशाली | 172 | 172 | 165 / 155 | 7 | 7 | 7 / 5 |
| 2 | नालंदा | 123 | 118 | 118 / 111 | 6 | 6 | 6 / 6 |
| 3 | जहानाबाद | 40 | 33 | 33 / 22 | 6 | 3 | 3 / 2 |
| 4 | अररिया | 154 | 97 | 97 / 71 | 3 | 2 | 2 / 1 |
| 5 | मोतिहारी | 230 | 119 | 119 / 79 | 21 | 4 | 4 / 4 |
| 6 | औरंगाबाद | 50 | 40 | 40 / 10 | 4 | 2 | 2 / 2 |
| 7 | बेगूसराय | 55 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | बेतिया | 50 | 11 | 10 / 0 | 6 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | दरभंगा | 75 | 30 | 16 / 2 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | पूर्णियाँ | 50 | 4 | 4 / 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| कुल योग : | | 999 | 624 | 602 / 451 | 65 | 24 | 24 / 20 |

## 3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु॰ में)

| क्रम | व्यवसाय का प्रकार | वर्ष 2016–17 (मार्च 17 तक) | वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 17 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कृषि (खाद एवं बीज) | 96,994.36 | 97,776.75 |
| 2 | अधिप्राप्ति | 21,895.94 | 4,507.95 |
| 3 | उपभोक्ता व्यवसाय | 2,162.92 | 2,345.52 |
| 4 | जमा वृद्धि | 1,580.40 | 1,575.19 |
| 5 | उपभोक्ता ऋण | 27.40 | - |
| | कुल योग : | 122,661.02 | 106,205.41 |

## 4. प्रशिक्षण

| क्रम | प्रशिक्षण | वर्ष 2016–17 (मार्च 17 तक) | वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 17 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | प्रबंधक | 841 | 119 |
| 2 | अध्यक्ष | 1138 | 253 |
| 3 | कार्यकारिणी सदस्य | 518 | 0 |
| 4 | सामान्य सदस्य | 9991 | 37 |
| 5 | सेल्समैन / अन्य | 802 | 59 |
| | कुल योग : | 13290 | 468 |

## समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धियाँ

- 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना
- 39 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना
- 222 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मति।
- 22 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण।
- 08 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 77 समितियों में कम्पोजिट इकाई की स्थापना
- 05 समितियों में दाल मिल की स्थापना
- 35 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना
- 256 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना
- 01 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
- 9 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना
- 01 मधु प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना
- 12 ई–सेन्टर की स्थापना
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना
- खगड़िया जिला में 01 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 01 सोयाबीन प्रोसेंसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 02 मुर्गी दाना आहार ईकाई की स्थापना
- नालंदा जिला में 05 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 01 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- सीवान जिला में 01 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना
- भोजपुर (आरा) जिला में 01 व्यापार मंडल में एल॰पी॰जी॰ गोदाम की स्थापना
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 46 बुनकर सहयोग समितियों को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 200 समितियों में सिंचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 242 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फ्लोरिकल्चर हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फल–सब्जी के विपणन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना

## आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन

01. परियोजना प्रारंभ करने हेतु एन॰सी॰डी॰सी॰ से स्वीकृति की प्रक्रिया अंतर्गत जिला – सहरसा, सुपौल, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, लखीसराय, अरवल एवं जमुई बाँका एवं समस्तीपुर।
02. आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले – मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा एवं शेखपुरा।

## ii. बिहार राज्य त्रिस्तरीय सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

बिहार सब्जी उत्पादन एवं उत्पादकता के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। बिहार में जल, जलवायु, उपयुक्त मिट्टी एवं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में पारम्परिक दक्षता के कारण सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन के क्षेत्र में अपार संभावना है। वर्तमान में सब्जी उत्पादकों को उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाना एवं ग्राहकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध नहीं हो पाना मुख्य कठिनाइयों में शामिल है। भंडारण, शीत भंडारण, शीत श्रृंखला के अभाव के कारण Post Harvest Losses तथा प्रबंधन इस प्रक्षेत्र की मुख्य समस्याएँ है।

- इन समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रिपरिषद् के द्वारा अत्यंत अर्थपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत एक प्रभावी सब्जी आपूर्त्ति श्रृंखला का सृजन किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी की आपूर्त्ति सुनिश्चित करना, सब्जी प्रक्षेत्र में प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन करना तथा रोजगार की संभावनाओं को फलीभूत करना शामिल है।
- त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य सब्जी उत्पादक किसान होगें। सब्जी उत्पादकों से सब्जी का संग्रहण कर प्रखंड स्तर पर Sorting, Grading, सब्जी हाट, लघु शीत भंडारण आदि की व्यवस्था के माध्यम से योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की जायेगी।
- क्षेत्रीय स्तर पर चयनित जिलों की प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ को मिलाकर एक सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ का गठन किया जायेगा। संघ स्तर पर आवश्यक अधिसंरचनात्मक – तकनीकी – प्रबंधकीय व्यवस्था के माध्यम से सब्जी का प्रसंस्करण, शीत भंडारण एवं विपणन सुनिश्चित किया जायेगा।
- शीर्ष स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का गठन किया जायेगा जो पूरे व्यवस्था को संगठनात्मक नेतृत्व तथा प्रबंधकीय एवं तकनीकी समर्थन देगा।
- प्रथम चरण में बिहार के पाँच जिलों–वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा एवं पटना की प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को मिलाकर एक प्रसंस्करण एवं विपणन संघ का गठन किया जायेगा जिसका मुख्यालय पटना जिलान्तर्गत अवस्थित होगा।
- योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक Special Purpose Vehicle का गठन किया जा रहा है जो कि योजना को Turn Key Stage तक ले जायेगा।

योजना के कार्यान्वयन की कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है तथा प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। इस योजनान्र्गत अब तक कुल 83 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है।

## iii. फसल बीमा

प्राकृतिक आपदाओं यथा– बाढ़, सुखाड़, तुषारापात, तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला इत्यादि कारणों से फसल की क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में फसल बीमा योजनाएँ लागू की जाती हैं।

खरीफ 2016 मौसम से पूर्व राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) लागू किया जाता था। खरीफ 2016 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को भारत सरकार द्वारा बंद कर एक नई फसल बीमा योजना यथा– **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** लागू की गई है। बिहार राज्य में भी यह योजना खरीफ 2016, रब्बी 2016–17, खरीफ 2017 एवं रब्बी 2017–18 मौसम में राज्य के सभी 38 जिलों में लागू की गई है।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :–**

(i) **कार्यान्वयन एजेंसी :–** इस योजना में 05 सरकारी बीमा कंपनी के साथ–साथ 13 प्राईवेट बीमा कंपनियों को भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) **बीमा इकाई :–** इस योजना में मुख्य फसलों (धान/गेहूँ) के लिए बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत तथा अन्य फसलों के लिए इससे बड़ी बीमा इकाई रखने का प्रावधान है।

(iii) **प्रीमियम एवं क्षतिपूर्ति :–** इस योजना में किसानों की प्रीमियम राशि खरीफ मौसम में खाद्यानों दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए 2% रबी मौसम में खाद्यान्न, दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए 1.5% तथा वार्षिक Commercial/Horticultural फसलों के लिए 5% निर्धारित की गई है। साथ ही किसानों के अंशदान के पश्चात् शेष प्रीमियम राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर–बराबर बीमा कंपनी को भुगतेय होगा।

(iv) **बीमा आच्छादन :–** इस योजना में ऋणी किसानों का बीमा अनिवार्य तथा गैर – ऋणी किसानों का बीमा स्वैच्छिक होगा। साथ ही बटाईदार एवं tenant दोनों किसान भी बीमा आच्छादन हेतु योग्य होगें, परन्तु इन्हें एतद् संबंधी एकरारनामा अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) **जोखिम आच्छादन :–**

(क) **Prevented sowing/Planting Risk :-** यदि बीमित क्षेत्रफल में विपरीत मौसम के कारण 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई संभव नही हो तो बीमित राशि के 25% की अधिसीमा तक क्षतिपूर्ति भुगतान अनुमान्य होगा एवं पॉलिसी समाप्त मानी जायेगी।

(ख) **खड़ी फसल हेतु :–** इस योजना में खड़ी फसल हेतु बुआई से कटनी तक जोखिम आच्छादित रहेगा। इसके अन्तर्गत Drought, Dry spells, Flood,Inundation,Pests and Diseases, Landslides, Natural Fire and Lightening, Storm, Hailstrom, Cyclone, Typhoon,Tempest, Hurricane and Tornado इत्यादि से फसल क्षति होने पर विस्तृत जोखिम बीमा का प्रावधान है।

(ग) **Post-Harvest Losses :-** इसके साथ–साथ फसल कटनी के पश्चात् खेत में सूखने हेतु रखी फसल के लिए कटनी से 14 दिनों तक जोखिम आच्छादन का प्रावधान है।

(घ) **Localized Calamities :-** इसके अन्तर्गत स्थानीय ओलावृष्टि, landslide एवं inundation के कारण बीमित क्षेत्र के 25% से अधिक क्षेत्र में क्षति होने की स्थिति में भी क्षतिपूर्ति अनुमान्य होगा।

इसके अतिरिक्त यदि वास्तविक उपज थ्रेसहोल्ड उपज के 50% से कम होने की संभावना निश्चित हो तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत करते हुए बीमित किसानों को तत्काल 25% तक की अधिसीमा में क्षतिपूर्ति अनुमान्य हो सकता है जो फसल कटनी प्रयोग पर आधारित अंतिम अनुमान्य क्षतिपूर्ति के विरूद्ध समायोजन योग्य होगा एवं इसका आकलन एवं निर्णय Proxy Indicator के आधार पर किया जायेगा।

**(vi) बीमित राशि एवं Indemnity** :– इस योजना में ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों किसानों के लिए समान बीमित राशि होगी तथा जिलावार फसल के लिए निर्धारित Scale of Finance के आधार पर बीमित राशि का निर्धारण होगा। कम जोखिम वाले जिलों में 90%, साधारण जोखिम वाले जिलों में 80% तथा ज्यादा जोखिम वाले जिलों में 70% Indemnity का प्रावधान नयी फसल बीमा योजना में किया गया है।

**(vii) Clubbing of Districts एवं वास्तविक प्रीमियम दर का निर्धारण तथा बीमा कार्य का आवंटन** :– इस योजना में राज्य सरकार द्वारा निविदा के पूर्व अलग–अलग जिलों के risk profile के आलोक में 15–20 जिलों का एक समूह तैयार किया जायेगा एवं एक समूह के सभी जिलों के लिए सभी बीमा कंपनी से जिलावार एवं फसलवार कोटेशन प्राप्त कर weighted प्रीमियम के आधार पर कंपनी का चयन एवं उक्त चयनित कंपनी को एक समूह के जिलों का बीमा कार्य आवंटित किया जायेगा।

**(viii) राज्य सरकार का नोडल विभाग** :– पूर्व से फसल बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का नोडल विभाग PMFBY में भी नोडल विभाग अनुमान्य होगा। नयी योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) ही अनुमान्य होगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व से सहकारिता विभाग फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग घोषित है, जो नई योजनाओं के लिए भी नोडल विभाग होगा।

**(ix) फसल कटनी प्रयोग** :– इस योजना में प्रत्येक पंचायत में न्यूतनम 04 तथा प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम 16 फसल कटनी प्रयोग अपेक्षित है। इस प्रकार मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर फसल कटनी प्रयोग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। फसल कटनी प्रयोग में नयी तकनीक के समावेश के तहत् स्मार्ट फोन का प्रयोग अनिवार्य होगा।

**(x) ऋण वितरण एवं बीमा अवधि** :– नयी फसल बीमा योजना में खरीफ मौसम हेतु 31 जुलाई एवं रब्बी मौसम हेतु 31 दिसम्बर ऋणी और गैर–ऋणी दोनों श्रेणी के किसानों के लिए बीमा अवधि निर्धारित है।

**गत तीन मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति निम्नवत है :–**

| क्र.सं. | मौसम का नाम | बीमित किसानों की संख्या | बीमित राशि (करोड़ में) | लाभान्वित कृषकों की संख्या | क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | खरीफ 2016 | 14,85,445 | 6531.16 | 1,51,474 | 289.38 |
| 2 | रबी 2016–17 | 12,28,806 | 5276.03 | 69,645 | 59.19 |
| 3 | खरीफ 2017 | 11,57,181 | 5387.45 | अप्राप्त | अप्राप्त |

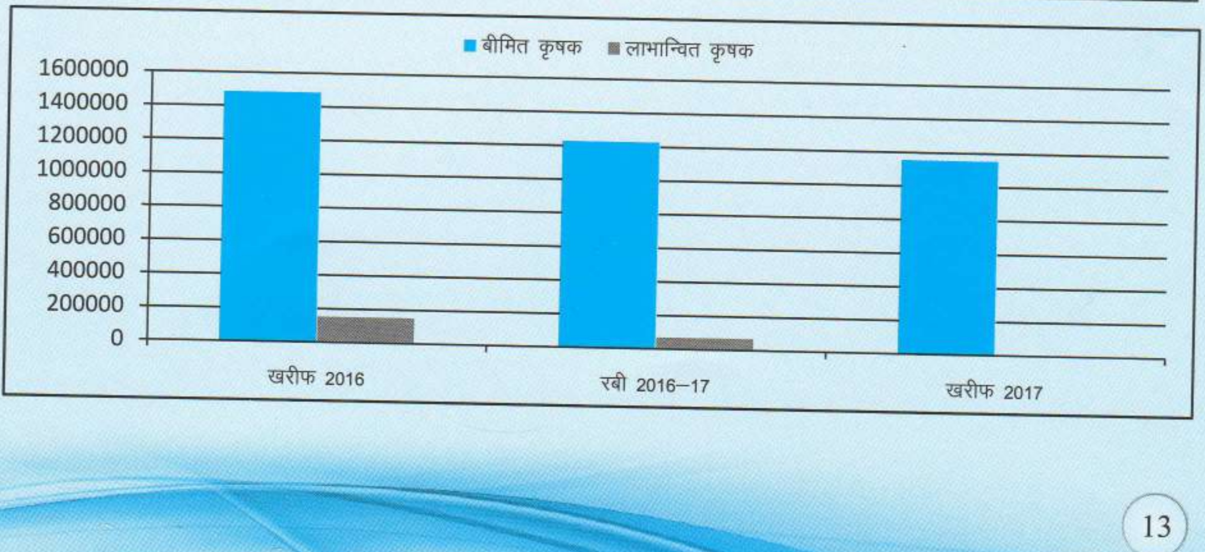

## iv. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आलात बिक्री (distress sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- वर्ष 2017–18 के लिए 30.00 लाख मे॰टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2017–18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (साधारण धान) 1550/– रूपये एवं ग्रेड A धान के लिए – 1590/– रूपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2017–18 में अधिप्राप्ति कार्य को और अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु किसानों के निबंधन में (पूर्व निबंधित कृषकों सहित) आधार को अनिवार्य बनाया गया है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 150 क्विंटल से बढ़ाकर 200 क्विंटल एवं गैर–रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 50 क्विंटल से बढ़ाकर 75 क्विंटल किया गया है।
- वर्ष 2017–18 अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अन्तर्गत प्रति कृषक धान बेचने की सीमा को एक बार से बढ़ाकर दो बार कर दिया गया है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है।
- इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य के प्रारंभ में ही (दिनांक 12.12.2017) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में धान में व्याप्त नमी की मात्रा के मानक को (17%) से बढ़ाकर मानक 19% किये जाने के कारण धान अधिप्राप्ति में प्रगति है।
- नमी प्रबंधन हेतु सहकारिता विभाग के स्तर से राईस मिल वाले पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आँकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

| वर्ष | धान (मात्रा लाख मे॰टन में) | |
|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 2014–15 | 24.00 | 19.01 |
| 2015–16 | 27.00 | 18.23 |
| 2016–17 | 30.00 (सांकेतिक) | 18.42 |
| 2017–18 (दिनांक 15.02.2018 तक) | 30.00 (सांकेतिक) | 5.38 |

# v. कृषि रोड मैप (2017–2022)

राज्य के कृषि रोड मैप 2017–22 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सहकारी समितियाँ अधिसंरचनात्मक–संस्थागत–तकनीकी–प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रभावकारी हस्तक्षेप के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्पित है। आधारभूत संरचनां खासकर भंडारण क्षमता में वृद्धि, विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन, किसानों को कृषि आदानों की उपलब्धता, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन रोड मैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभाग महत्वपूर्ण पहल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पैक्सों का सुदृढ़ीकरण एवं सदस्यता–वृद्धि, पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन तथा सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण हेतु परिकल्पित हैं।

1. **आधारभूत संरचना का विकास :–**

(क) सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण :– वर्तमान में सहकारी समितियों की कुल भंडारण क्षमता 9.943 लाख मे॰ टन है। 2017–2022 की अवधि में इसमें 10 लाख मे॰ टन क्षमता की और वृद्धि की जानी है, जिसका अनुमानित व्यय 700 करोड़ रुपये है।

(ख) 02 मे॰ टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना :– अधिप्राप्ति को सहज बनाने तथा राज्य खाद्य निगम को ससमय चावल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2017 से 2022 की अवधि में पैक्स/व्यापार मंडलों में 260 विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुमानित व्यय 201 करोड़ रुपये है।

2. **बिहार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना :–**

राज्य के सब्जी उत्पादन, संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु यह अत्यंत अहम् योजना है, जिसका क्रियान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से इस प्रकार किया जायेगा कि सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध हो सके। इस योजना को कृषि रोड मैप 2017–2022 में शामिल किया गया है। प्रथम चरण में पाँच जिलों–पटना, नालन्दा, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली को मिलाकर एक सब्जी उत्पादक सहकारी संघ का गठन प्रस्तावित है तथा द्वितीय चरण में तीन और संघों का गठन किया जायेगा।

3. **संस्थागत विकास :–**

(क) पैक्सों में सदस्यता अभियान :– प्रत्येक परिवार से कम–से–कम एक सदस्य विशेषकर महिलाओं को पैक्स का सदस्य बनाया जाना है, जिसके निमित्त ऑनलाईन आवेदन हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पैक्सों की वर्तमान सदस्यता (1.16 करोड़) को बढ़ाकर 1.60 करोड़ करने का लक्ष्य है।

(ख) पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन :– 2017–18 से प्रारम्भ होते हुए अगले तीन वर्षो में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इस योजना के लागू होने से पैक्सों का कार्यकलाप पारदर्शी एवं प्रभावकारी हो जायेगा।

(ग) आदर्श पैक्स योजना :– सभी जिलों के चुनिंदा पैक्सों/व्यापार मंडलों को कृषि उपकरण बैंक के रूप में विकसित किया जायेगा, जहाँ कृषकों को कृषि कार्य करने हेतु आवश्यक संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे।

4. **समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार :–**

राज्य के सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार राज्य के वैसे जिलों में किया जायेगा, जो अभी तक इस परियोजना से अनाच्छादित हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिससे कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन हो सके। अगले पाँच वर्षों में परियोजना के कार्यक्रमों पर 400 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि का व्यय किया जायेगा।

5. **मानव संसाधन विकास :–**

कृषि रोड मैप 2017–2022 के अंतर्गत सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा का आधुनिकीकरण, सदस्यों एवं विभागीय कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम प्रावधानित हैं, जिस हेतु 38.81 करोड़ की राशि खर्च की जानी है।

## vi. भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

राज्य में भण्डारण क्षमता की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) में इसे प्राथमिकता देते हुए प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया तथा इसके तहत् 2017 तक, पैक्स व्यापार मण्डलों में विभिन्न क्षमता के गोदाम का निर्माण कराते हुए सहकारी क्षेत्र के भंडारण क्षमता में कुल 10.75 लाख मे॰टन अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी क्रम में विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में पैक्स/व्यापार मण्डलों में 01 लाख मे॰टन भण्डारण क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा कुल 419 पैक्स/व्यापार मण्डल में गोदाम निर्माण हेतु कुल 31.17 करोड़ रू॰ राशि उपलब्ध करायी गई। इस लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में 333 गोदामों का निर्माण कराते हुए, वर्ष 2016–17 में भण्डारण क्षमता में 0.79 लाख मे॰टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई। इसी प्रकार, कृषि रोड मैप 2012–17 अंतर्गत विगत् 05 वर्ष में राज्य योजना के माध्यम से कुल 2996 पैक्सों/व्यापार मण्डलों में गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र के भण्डारण क्षमता में 6.859 लाख मे॰टन की अभिवृद्धि हुई है।

वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 5249 पैक्स/व्यापार मण्डलों में 200/500/1000 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भण्डारण क्षमता 10.374 लाख मे॰टन है।

पुनः कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स/व्यापार मण्डल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भण्डरण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 521 व्यापार मण्डल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 128 करोड़ रुपये के लागत से 914 पैक्स/व्यापारमण्डलों में कम–से–कम 200 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा 487 पैक्स/व्यापार मण्डलों को गोदाम निर्माण हेतु 68.18 करोड़ रू॰ उपलब्ध कराया जा रहा है।

पैक्स/व्यापार मण्डलों में गोदाम निर्माण की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समय के बचत के लिए विभाग द्वारा गोदाम निर्माण हेतु समिति के चयन के लिए जिला स्तर पर ही कमिटी गठित की गई है तथा समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। साथ ही, समय–समय पर विज्ञापन के माध्यम से भी आम व्यक्तियों को इस योजना के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।

## vii. धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स/व्यापारमण्डल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप (2012–17) में कुल 350 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध अब तक 338 चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है, जिसमें वर्ष 2016–17 में निर्मित 62 चावल मिल (बैकलॉग के साथ) भी सन्निहित हैं।

इस प्रकार, सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 377 पैक्स/व्यापार मण्डलों में चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है एवं 73 चावल मिल–सह–गैसीफायर निर्माणाधीन हैं।

कृषि रोड मैप (2017–22) में कुल 260 पैक्स/व्यपारमण्डलों में 02 मे॰टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निधारित है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 80 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दी गई है। साथ ही, 13 चावल मिल जो वर्ष 2016–17 में निर्मित कराया जाना था; किन्तु कतिपय कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया था। उसका भी वर्ष 2017–18 में पुनर्वैधीकरण किया गया है। फलतः वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना की जानी है, जिसके विरूद्ध 17 समितियों के लिए राशि विभाग द्वारा जिलों को उप आबंटित कर दी गई है तथा 80 समितियों के लिए राशि उप आबंटित की जा रही है।

पैक्स/व्यापारमण्डलों में चावल मिल स्थापित करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समय के बचत के लिए विभाग द्वारा चावल मिल स्थापित करने हेतु समिति के चयन के लिए जिला स्तर पर ही कमिटी गठित की गई है तथा समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। साथ ही, समय–समय पर विज्ञापन के माध्यम से भी आम कृषकों को इस योजना के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।

## viii. ड्रायर की स्थापना

पैक्स/व्यापार मण्डलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबन्धन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी 05 वर्ष में phasewise कुल 441 पूर्व स्थापित/निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ लगाये जायेंगे।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 में 40 पैक्स/व्यापार मंडलों में स्थापित करने हेतु कुल 08.80 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा रही है।

## ix. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं अभिलेखों के उचित् रख–रखाव के उद्देश्य से एक ही परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए संकल्प संख्या–3485 दिनांक–07.11.2017 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में G+2 एवं अन्य जिला मुख्यालय में G+1 सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा द्वितीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रति सहकार भवन. रू॰ 2.97 करोड़ की दर से एवं अन्य जिला मुख्यालयों में प्रति सहकार भवन रू॰ 2.44 करोड़ की दर भूमि उपलब्धता के आधार पर सम्प्रति दो प्रमंडलीय मुख्यालय पटना एवं कोशी (सहरसा) तथा बारह जिला मुख्यालयों–मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज एवं आरा में सहकार भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सहकार भवन के निर्माण की समय सीमा–02 वर्ष हैं। जिन प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालयों में वर्त्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है उन जिलों में भी भूमि उपलब्ध होने पर सहकार भवन का निर्माण सरकार द्वारा किया जायेगा।

# x. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2017–18 के लिए राज्य योजना अन्तर्गत 93844.59 लाख रू० (पुनरीक्षित) एवं केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 14299.63 लाख रू० कुल 108144.22 लाख रू० का उपबंध स्वीकृत था जिसके विरूद्ध 11 जनवरी 2018 तक राज्य योजनान्तर्गत 26388.01 लाख रू० का व्यय किया गया।

वर्ष 2017–18 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :– (15.02.2018 तक)

(राशि लाख रू० में)

| क्र०सं० | परियोजना का नाम | | उपबंधित राशि | | | व्यय की गयी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज्य योजना पुनरीक्षित | केन्द्र प्रायोजित योजना | कुल राशि | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना | | | | | |
| | (क) प्रीमियम | | 1.00 | | 1.00 | |
| | (ख) क्षतिपूर्ति | | 1.00 | | 1.00 | |
| 2 | मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 3 | संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम) | | 1.00 | | 1.00 | |
| 4 | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम) | | 63971.42 | | 63971.42 | 30401.00 |
| 5 | एन०सी०डी०सी० सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना | | 432.66 | | 432.66 | 201.49 |
| 6 | सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मती | | 1.00 | | 1.00 | |
| 7 | विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण | | 21.58 | | 21.58 | 5.00 |
| 8 | सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार | | 126.00 | | 126.00 | |
| 9 | सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय | | 62.00 | | 62.00 | 7.13 |
| 10 | गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान | | 9061.10 | | 9061.10 | 13.04 |
| 11 | बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान | | 1.00 | | 1.00 | |
| 12 | बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति) | | 7982.00 | | 7982.00 | |
| 13 | सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन | | 500.00 | | 608.50 | |
| 14 | सहकार भवन का निर्माण | | 608.50 | | 2434.00 | |
| 15 | प्रबंधकीय अनुदान | | 500.00 | | 500.00 | |
| 16 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) | केन्द्रांश | 2992.33 | | 2992.13 | 107.01 |
| | | राज्यांश | 5876.40 | | 4181.31 | 95.12 |
| 17 | माँग संख्या–03 के अंतर्गत सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण | | 1704.50 | | 1704.50 | |
| | **(क) राज्य स्कीम का योग** | | **93844.59** | | **91756.09** | **25159.46** |
| **केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम** | | | | | | |
| 1 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (सहायक अनु०) | | | 7328.63 | 7328.63 | 725.12 |
| 2 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (चक्रीय पूँजी) | | | 6971.00 | 6971.00 | 503.52 |
| | **(ख) केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का योग** | | | **14299.63** | **14299.63** | **1228.64** |

# 4. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80% अबादी कृषि पर ही आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने कृषि इनपुटस की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमें सतत् प्रत्यनशील है।

## i. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित्त सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 12.01.2018 तक 982717 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 138683.42 लाख रू॰ स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay Card मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

**विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :–**

(रू॰ लाख में)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | 80000.00 | 30761.66 | 38.45% |
| 2014–15 | 100000.00 | 38088.51 | 38.09% |
| 2015–16 | 100000.00 | 45562.64 | 45.62% |
| 2016–17 | 100000.00 | 36149.00 | 36% |
| 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) | 103636.00 | 26403.27 | 25.48% |

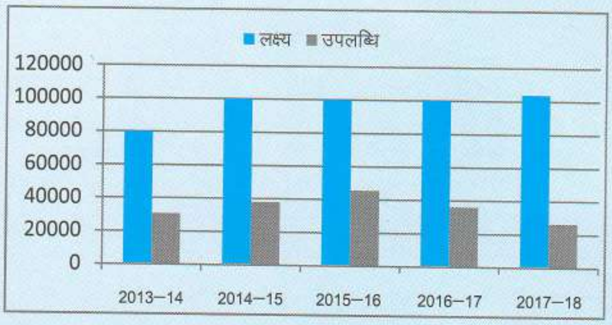


**विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :–**

(रू॰ लाख में)

| वर्ष | मांग | वसूली | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | 68995.41 | 22421.58 | 32.50% |
| 2014–15 | 70087.73 | 24328.53 | 34.71% |
| 2015–16 | 72531.53 | 33285.83 | 45.89% |
| 2016–17 | 75495.27 | 27122.41 | 35.93% |
| 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) | 75611.88 | 24193.68 | 32.00% |

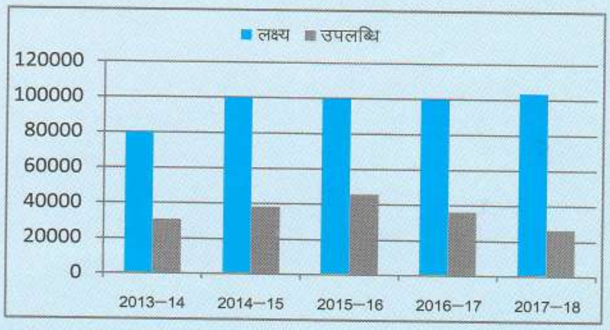

## ii. राज्य सहकारी बैंक लि०

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान करता है। यह बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 11 शाखायें कार्यरत हैं जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। फसल अधिप्राप्ति व्यवसाय व्यवस्था के वित्तीय संचालन में बैंक की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखओ में कोर बैंकिंग लागू है। वर्त्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

**विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–**

(रू० लाख में)

| क्र०सं० | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | हिस्सा पूंजी | 2083.40 | 1938.09 | 2673.86 | 3000.37 |
| 2 | स्टेच्यूटरी रिजर्व | 9629.38 | 9629.38 | 11852.47 | 13291.10 |
| 3 | अन्य रिजर्व | 19970.60 | 19769.52 | 23841.91 | 26509.98 |
| 4 | ओन्ड फण्ड | 55224.56 | 59493.37 | 59356.70 | 56875.78 |
| 5 | जमा | 141833.06 | 184643.57 | 223650.50 | 137720.91 |
| 6 | उधार | 76713.49 | 87426.26 | 82499.34 | 145293.83 |
| 7 | कार्यशील पूंजी | 299623.79 | 359380.77 | 408826.73 | 377876.95 |
| 8 | निवेश | 124365.29 | 158792.04 | 147776.68 | 144199.03 |
| 9 | वकाया ऋण | 144676.05 | 161439.67 | 205512.07 | 195086.52 |
| 10 | अन डिस्ट्रीव्यूटेड प्रोफिट | 2412.04 | 6351.69 | 3596.58 | 3619.66 |
| 11 | ग्रौस एन०पी०ए० | 17918.29 | 19732.09 | 21248.99 | 8812.56 |

## iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन शत् प्रतिशत कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 18 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्रोत से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम थे परन्तु 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उन चारों केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के 6406.00 लाख रू० वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाया गया फलस्वरूप आज राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत हैं। साथ हीं, सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

वैसे जिला जहाँ पूर्व से केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित नहीं है अथवा परिसमापित हैं, वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक की गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सुपौल जिला में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का निबंधन हो चुका है इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

**केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–**

(रू० लाख में)

| क्र०सं० | केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम | हिस्सा पूंजी | जमा राशि | सुरक्षित निधि | ऋण एवं अग्रिम | लाभ/हानि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नालंदा | 724.88 | 17781.57 | 1245.61 | 8373.30 | 40.62 |
| 2 | पाटलीपुत्रा | 720.08 | 32319.45 | 4870.62 | 12924.97 | 41.78 |
| 3 | मगध (गया) | 858.79 | 6389.08 | 1688.50 | 12885.28 | 211.65 |
| 4 | नवादा | 1254.60 | 16624.16 | 2772.33 | 4764.17 | 12.07 |
| 5 | आरा | 720.49 | 34960.98 | 1413.19 | 12086.99 | 63.00 |
| 6 | रोहतास | 3423.94 | 13120.08 | 2064.31 | 13505.41 | (–) 149.32 |
| 7 | भागलपुर | 446.86 | 15571.90 | 1886.44 | 7993.82 | 97.09 |
| 8 | मुंगेर | 3536.90 | 16624.78 | 2188.80 | 12069.69 | 3939.27 |
| 9 | बेगूसराय | 776.68 | 12902.21 | 1098.39 | 6161.95 | 104.84 |
| 10 | पूर्णियाँ | 2230.13 | 12412.40 | 2312.95 | 11022.82 | (–) 33.66 |
| 11 | मुजफ्फरपुर | 518.81 | 5545.04 | 346.09 | 4677.02 | 138.94 |
| 12 | सीतामढ़ी | 341.20 | 10489.74 | 732.12 | 4244.36 | 103.32 |
| 13 | मधुबनी | 2434.33 | 8542.42 | 2101.72 | 13553.80 | 14.86 |
| 14 | बेतिया | 429.51 | 11940.94 | 1156.96 | 9759.09 | 38.93 |
| 15 | मोतिहारी | 1882.66 | 14306.51 | 3313.90 | 12633.16 | 5.75 |
| 16 | सिवान | 916.25 | 17926.71 | 406.65 | 4754.53 | 65.64 |
| 17 | गोपालगंज | 671.44 | 31333.25 | 4124.77 | 10682.89 | 46.78 |
| 18 | औरंगाबाद | 791.30 | 14049.52 | 2818.86 | 11507.80 | (–) 199.07 |
| 19 | खगड़िया | 830.75 | 3580.21 | 259.37 | 9709.58 | 34.50 |
| 20 | कटिहार | 1980.02 | 2982.85 | 994.01 | 3086.13 | 301.47 |
| 21 | वैशाली | 810.59 | 5604.54 | 107.26 | 2799.43 | 91.21 |
| 22 | समस्तीपुर | 1107.46 | 8702.46 | 1495.55 | 9651.61 | 95.39 |

## iv. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है जिसके अन्तर्गत पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैक्सों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था है। पैक्सों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत सुधार भी किये गये हैं। फलस्वरूप पैक्सों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पैक्सों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण के साथ–साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति भी प्रदान कराया गया है। पैक्सों के माध्यम से ही धान एवं गेंहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है जिससे कृषकों को उनके उत्पाद का सरकार द्वारा घोषित उचित समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो ही रहा है साथ ही साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। लघु उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत चावल मिल गैसीफायर के साथ चावल मिल भी स्थापित किये जा रहे हैं। पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ पैक्स जमावृद्धि व्यवसाय में भी संलग्न है तथा अपने स्त्रोत से कृषकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया कराने में सक्षम हो रहे हैं। पैक्सों में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से **''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना''** लागू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के दो पैक्सों को निर्धारित मापदंड को पूरा करने पर उसे पुरस्कृत करने की योजना है।

# 5. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन / सत्यापन / त्रुटियों / अनियमितताओं / दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारत्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के पद बल में काफी कमी होने के कारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें अंकेक्षण मैनूअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

**विगत 4 वर्षों में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :–**

| क्र० सं० | समितियों की कुल संख्या | | अंकेक्षण वर्ष | अंकेक्षण की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|
| | पैक्स | व्यापार मंडल | | पैक्स | व्यापार मंडल |
| 1 | 8463 | 523 | 2013–14 | 7956 | 367 |
| 2 | | | 2014–15 | 7956 | 367 |
| 3 | | | 2015–16 | 7613 | 338 |
| 4 | | | 2016–17 | 2649 | 121 |
| | | | (जनवरी, 2018 तक) | | |

सरकार के निदेशानुसार विशेष अंकेक्षण अभियान चलाकर दिनांक 31.03.2016 तक का अंकेक्षित पैक्सों एवं व्यापार मंडलों का माह दिसम्बर, 17 तक अंकेक्षण कराया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2016 तक के अंकेक्षण में काफी प्रगति हुई है।

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 (यथा संशोधित 2013) के प्रावधानों के आलोक में सहकारी समिति के लेखाओं का वैधानिक अंकेक्षण समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, विभाग के सूचीबद्ध सनदी लेखाकार के पैनल या निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय के अंकेक्षकों के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश भी निर्गत है। इस परिपत्रानुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक कारोबार अथवा कार्यशील पूँजी के आधार पर निर्धारण की व्यवस्था की गयी है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अंतिम लेखा विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अंतिम लेखा विवरणी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने के स्थिति में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा उसे सशुल्क तैयार करने का भी प्रावधान है। यदि समिति जान–बूझ कर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराते है तो अधिनियम के तहत् कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराना है। जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

# 6. महत्त्वपूर्ण सहकारी संस्थान

## i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है। जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षणार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटी गठित है। जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ नामित है।

विगत वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यकलाप ठप्प था, वर्ष 2016 में इसे पुर्नजीवित किया गया, जिसके अन्तर्गत तीस प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया गया तथा इसके संचालन हेतु एक कॉरपस फंड का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध सहकारी संस्थाओं से अंशदान के मद में प्राप्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

## ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917–18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210/1917–18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का स्रोत बनाया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाती है। वर्त्तमान मे इस संघ का दैनिक कार्य फेडरेशन हॉल एवं गेस्ट रूम के आरक्षण से प्राप्त आय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

**विगत तीन वर्षो में संघ की उपलब्धि निम्नवत् है :–**

| क्रमांक | क्रियाकलाप | उपलब्धि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | फेडरेशन लेवी की वसूली | 1,11,464.00 | 6,56,910.00 | 4,65,410.00 |
| 2 | आरक्षण से आय | 10150.00 | 3,150.00 | 0 |
| 3 | मकान किराया से आय | 4,74,150.00 | 3,30,000.00 | 5,25,925.00 |
| 4 | अन्य आय | 20,600.00 | 2,25,000.00 | 20,000 |
| 5 | भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अनुदान | 2,98,749.00 | 3,25,000.00 | 90,000 |

## iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या– 2 पैट / 1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रू॰ है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रू॰ है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

## iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

## v. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

## vi. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

# 7. बिहार राज्य भंडार निगम

बिहार राज्य भंडार निगम "Central Warehousing Corporation Act, 1962" के तहत् गठित ग्रामीण एवं शहरी भंडारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12.12.1996 द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य भंडारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत मात्र यही एक लोक उपक्रम है।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के साथ–साथ अन्य संस्थाओं की सामग्रियों यथा खाद्यान्न, खाद आदि का भंडारण है। भंडार निगम द्वारा भंडार गृहों का निर्माण भी किया जाता है। इस निगम के आय का मुख्य श्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क है। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ–साथ कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु प्रशिक्षित भी करती है।

निगम का अधिकृत हिस्सापूँजी 10.00 करोड़ रुपये है। प्रदत्त हिस्सापूँजी 642.00 लाख है। निगम में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का 50–50 प्रतिशत हिस्सापूँजी निवेश है।

### वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की उपलब्धि

- राज्य में किसानों के खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के लिए भंडारण व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान।
- कुल भंडारण क्षमता – 7.58 लाख मे. टन
- **गोदाम निर्माण :**

| | |
|---|---|
| (क) वर्ष 2017–18 तक निगम द्वारा निजी क्षेत्र से निर्मित गोदाम | 3,10,000 मे. टन |
| (ख) सात वर्षीय गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण गोदाम निर्माण पूर्ण | 44,780 मे. टन |
| (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निर्माण पूर्ण | 50,000 मे. टन |
| (घ) कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण | 2,60,000 मे. टन |
| (ङ) कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर | 50,000 मे. टन |
| (च) पी०ई०जी० मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण | 2,10,000 मे० टन |
| (छ) पी०ई०जी० मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर | 35,000 मे० टन |
| (ज) निगम द्वारा पुराना निर्मित गोदाम | 99,493 मे० टन |
| (झ) किराया का गोदाम | 74,000 मे० टन |

| **व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि** | **2016–17** | **2017–18** (अनुमानित) |
|---|---|---|
| कुल आय | रू. 16706.17 लाख | रू. 21940.31 लाख |
| लाभ | रू. 2329.74 लाख | रू. 6300.00 लाख |

**अद्यतन भंडारण क्षमता** **निर्माणाधीन भंडारण क्षमता**

| कुल स्थापित केन्द्रों की संख्या | बिहार 39 | झारखण्ड 11 | कुल 50 |
|---|---|---|---|
| कुल स्वनिर्मित क्षमता<br>किराया पर भंडारण क्षमता | 4.69 लाख मे. टन<br>0.31 लाख मे. टन | ..........<br>0.43 लाख मे. टन | 4.69 लाख मे. टन<br>0.74 लाख मे. टन |
| निजी सहभागिता योजनान्तर्गत निर्मित गोदाम क्षमता | 2.10 लाख मे. टन | ............ | 2.15 लाख मे. टन |
| कुल भंडारण क्षमता | 7.15 लाख मे. टन | 0.43 लाख मे. टन | 7.58 लाख मे. टन |

- भंडारण शुल्क में किसानों एवं सहकारी संस्थानों को 10% से 30% तक की छूट।
- अंशधारियों यथा, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम को 20% लाभांश।

## निगम का भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलाप

### भौतिक उपलब्धि

| क्र॰सं॰ | वित्तीय वर्ष | भंडारण क्षमता (लाख मे॰टन में) | आभोग (लाख मे॰टन में) | आभोग का प्रतिशत | सकल आय (रू॰ लाख में) | लाभ (रू॰ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | 0.65 | 0.10 | 15.38 | 16706.17 | 2329.74 |
| 2 | 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) | 7.58 | 0.47 | 64.00 | 21940.31 | 6300.00 |

### वित्तीय उपलब्धि

| क्र॰सं॰ | विवरणी | वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | 2016–17 | 2017–18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अधिकृत हिस्सा पूंजी | | |
| | (क) केन्द्रीय भंडार निगम | 500.00 | 500.00 |
| | (ख) राज्य सरकार | 500.00 | 500.00 |
| | **(ग) कुल** | **1000.00** | **1000.00** |
| 2 | **प्रदत्त हिस्सा पूँजी** | | |
| | (क) केन्द्रीय भंडार निगम | 321.00 | 321.00 |
| | (ख) राज्य सरकार | 321.00 | 321.00 |
| | (ग) कुल | **642.00** | **642.00** |
| 3 | व्यवसाय से कुल आय | 16706.17 | 21940.31 |
| 4 | शुद्ध लाभ | 2535.00 | 6300.00 |
| 5 | बैंक ऋण | 0.00 | 0.00 |

### निगम का भंडारण शुल्क

| | |
|---|---|
| खाद्यान्न – | रू० 83.00 प्रति टन प्रति माह |
| उर्वरक – | रू० 58.00 प्रति टन प्रति माह |
| क्षेत्रफल दर – | रू० 13.29 प्रति वर्गफीट प्रति माह |
| सहकारी संस्थान / समिति – | 10 प्रतिशत की छूट |
| कृषकों के कृषि उत्पाद का भंडारण – | 30 प्रतिशत की छूट |

### मुख्य जमाकर्त्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर०सी०एफ०लि०, पुस्तक निगम, बी०एस०एन०एल०, शिक्षा परियोजना, व्यापारी, किसान, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 इत्यादि।

### बिहार कृषि रोड मैप के अन्तर्गत

बिहार कृषि रोड मैप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012—17 तक निगम के लिए 10.00 लाख मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012—13 से 2013—14 में 13 स्थलों पर कुल 3.20 लाख मे० टन क्षमता अभिवृद्धि के निर्माण कार्य शुरू है। इस योजनान्तर्गत 2.60 लाख मे० टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 0.50 लाख मे० टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजनान्तर्गत भूखंड सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा तथा योजना लागत का 10% तथा ऋण के ब्याज की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

### निर्माण योजनाएँ :—

### सात वर्षीय संचयन गारंटी योजनान्तर्गत गोदामो का निर्माण

निगम द्वारा 20.28 करोड की लागत से भारतीय खाद्य निगम के सात वर्षीय गांरटी योजनान्तर्गत 51.00 हजार मे० टन क्षमता के आधुनिक प्रौद्योगिक से निर्मित विशेष रूप से खाद्यान्नों के संचयन हेतु गोदाम निर्माण कार्य मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया, भागलपुर, आरा, सासाराम, गुलाबबाग, फारबीसगंज में संपादित कराया गया है। अभिवृद्वि भंडारण योजनान्तर्गत निगम के द्वारा वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

# 8. सहकारिता विभाग में आई॰टी॰ का समावेश

## I बिहार राज्य सहकारिता बैंक

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनिकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को एन॰ई॰एफ॰टी॰, आर॰टी॰जी॰एस॰, आई॰एम॰पी॰एस॰ रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ में तकनिकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनिकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वीडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

## II धान अधिप्राप्ति में आई॰टी॰ का समावेश

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापार मंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर एन॰ई॰एफ॰टी॰/आर॰टी॰जी॰एस॰ के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

## III पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में आई॰टी॰ का समावेश

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पूरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकापर्ण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

# परिशिष्ट – I

## विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ :–

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुंक्कुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, औद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर "धुरद" शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

# परिशिष्ट – II

## राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) – | 8463 |
| 2. | व्यापार मंडल सहयोग समिति – | 521 |
| 3. | सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक) – | 1874 |
| 4. | प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति – | 379 |
| 5. | बचत एवं साख सहयोग समिति – | 327 |
| 6. | गृह निर्माण सहयोग समिति – | 2741 |
| 7. | औद्योगिक सहयोग समिति – | 2647 |
| 8. | विशेष प्रकार की सहकारी समिति – | 393 |
| 9. | कुक्कुटपालन सहयोग समिति – | 237 |
| 10. | शीत भंडार सहकारी समिति – | 50 |
| 11. | श्रमिक सहकारी समिति – | 4577 |
| 12. | ग्रामोदय सहकारी समिति – | 844 |
| 13. | महिला विकास सहयोग समिति – | 430 |
| 14. | बुनकर सहयोग समिति – | 1089 |
| 15. | फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति – | 342 |
| 16. | तेल उत्पादक सहयोग समिति – | 474 |
| 17. | दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति – | 4279 |
| 18. | ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति – | 76 |
| 19. | सिंचाई सहयोग समिति – | 557 |
| 20. | संयुक्त कृषि सहयोग समिति – | 406 |
| 21. | नाव यातायात सहयोग समिति – | 89 |
| 22. | चर्मकार सहयोग समिति – | 187 |
| 23. | परिवहन सहयोग समिति – | 172 |
| 24. | सर्वोदय सहयोग समिति – | 54 |
| 25. | सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति – | 7887 |
| | | 39095 |

(नोटः– पैक्स व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

# परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

| क्र.सं. | जिला का नाम | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | | | 2013–14 | | 2014–15 | | 2015–16 | | 2016–17 | | 2017–18 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1000 में.टन. | 500 में.टन. | 200 में.टन. | 200 में.टन. | 500 मे.टन. | 200 मे.टन. | 500 मे.टन. | 200 मे.टन. | 500 मे.टन. | 200 मे.टन. | 500 मे.टन. | 200 मे.टन. | |
| 1 | बाँका | 2 | 20 | 2 | – | 20 | 12 | – | 12 | – | 28 | 2 | 7 | – | – | 105 |
| 2 | भागलपुर | – | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | – | 33 | – | 6 | – | 12 | 1 | – | 81 |
| 3 | समस्तीपुर | 3 | – | 3 | 6 | 50 | 45 | – | 38 | 2 | 32 | 3 | 13 | | – | 195 |
| 4 | दरभंगा | – | – | 3 | 1 | 3 | 30 | – | 34 | 4 | 16 | 1 | 12 | | – | 104 |
| 5 | मधुबनी | – | – | 7 | 4 | 33 | 31 | – | 21 | – | 2 | – | 17 | | – | 115 |
| 6 | गया | – | – | – | – | 32 | 86 | 9 | 42 | 5 | 13 | – | 10 | 1 | – | 198 |
| 7 | नवादा | 2 | – | 2 | – | 30 | 60 | – | | – | 17 | 6 | 11 | | – | 128 |
| 8 | औरंगाबाद | 1 | 38 | 12 | .10 | 67 | 20 | – | 29 | – | – | – | | | – | 177 |
| 9 | जहानाबाद | – | – | – | – | 15 | 17 | – | 31 | 6 | – | – | | | – | 69 |
| 10 | अरवल | – | – | 2 | 2 | 12 | – | – | 6 | – | – | – | 7 | | – | 29 |
| 11 | लखीसराय | 5 | 3 | 1 | – | 11 | – | – | 10 | 3 | 3 | – | 2 | | – | 38 |
| 12 | बेगूसराय | – | 5 | 2 | 4 | 24 | 10 | – | 7 | – | 26 | 3 | 5 | | – | 86 |
| 13 | मुंगेर | – | – | – | – | 27 | – | – | 4 | – | 1 | – | 7 | | – | 39 |
| 14 | जमुई | – | – | 2 | 7 | 8 | 37 | – | 37 | 3 | 9 | – | 4 | | – | 107 |
| 15 | शेखपुरा | – | – | 1 | – | 18 | 1 | – | 3 | 3 | 7 | – | 1 | | – | 34 |
| 16 | खगड़िया | – | – | 2 | – | – | – | – | 11 | – | 2 | 1 | 5 | | – | 21 |
| 17 | सीवान | 20 | – | 2 | 4 | 20 | 51 | – | 9 | – | 10 | – | 8 | | – | 124 |
| 18 | गोपालगंज | 4 | – | – | 5 | 20 | – | – | 34 | – | 1 | – | 4 | | – | 68 |
| 19 | सारण | – | 8 | – | 2 | 17 | – | 3 | 3 | 1 | 8 | – | 20 | | – | 62 |
| 20 | रोहतास | 10 | 16 | 5 | – | 40 | 76 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 14 | | – | 192 |
| 21 | भोजपुर | 6 | 9 | 4 | – | 30 | – | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | | – | 78 |
| 22 | पटना | 19 | – | 1 | 1 | 50 | 32 | 1 | 10 | – | 18 | 4 | 13 | | – | 149 |
| 23 | कैमूर | 12 | – | – | 1 | – | – | – | 8 | – | 45 | 5 | 5 | | – | 76 |
| 24 | नालन्दा | 8 | – | 8 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 7 | | – | 29 |
| 25 | बक्सर | – | 3 | – | 1 | 28 | 45 | – | 2 | – | – | – | 5 | | – | 84 |
| 26 | मुजफ्फरपुर | 15 | 7 | 4 | 7 | 53 | 53 | 6 | 7 | – | 14 | – | 16 | | – | 182 |
| 27 | बेतिया | 11 | – | 6 | – | 20 | 39 | 5 | 1 | 10 | 1 | – | 10 | | – | 103 |
| 28 | वैशाली | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 5 | 2 | 37 | 2 | 5 | | – | 57 |
| 29 | मोतीहारी | – | – | 5 | 1 | 20 | 24 | – | – | – | 3 | 1 | 26 | | – | 80 |
| 30 | सीतामढ़ी | – | – | 1 | – | 20 | 22 | 1 | 33 | 2 | 52 | 3 | 4 | | – | 138 |
| 31 | शिवहर | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 22 | 1 | | | – | 27 |
| 32 | सुपौल | – | 8 | 4 | 2 | 21 | 47 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | | – | 111 |
| 33 | मधेपुरा | – | – | 3 | 3 | 20 | 19 | 3 | 11 | 1 | 1 | – | 7 | | – | 68 |
| 34 | सहरसा | – | – | 1 | – | 11 | 55 | – | – | 1 | – | – | 6 | 1 | – | 75 |
| 35 | पूर्णिया | – | 12 | 5 | 1 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | 9 | | – | 67 |
| 36 | अररिया | – | – | 3 | 2 | 20 | 6 | – | 52 | 4 | – | – | 5 | | – | 92 |
| 37 | कटिहार | – | – | 2 | 1 | 10 | 25 | 2 | 15 | – | – | – | 11 | | – | 66 |
| 38 | किशनगंज | – | – | 2 | 7 | 30 | 17 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 59 |
| | कुल– | 120 | 131 | 100 | 78 | 819 | 884 | 40 | 535 | 55 | 405 | 42 | 301 | 3 | – | 3513 |

गैसी फायर–सह–चावल मिल निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

| क्र. सं. | जिला का नाम | 2008–09 | 2010–11 | 2012–13 | | 2013–14 | | 2014–15 | | 2015–16 | | 2016–17 | 2017–18 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स | व्यापार मंडल | पैक्स / व्यापार मंडल | पैक्स / व्यापार मंडल | |
| 1 | बाँका | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 8 |
| 2 | भागलपुर | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 3 | समस्तीपुर | – | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 13 |
| 4 | दरभंगा | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 10 |
| 5 | मधुबनी | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 10 |
| 6 | गया | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 13 |
| 7 | नवादा | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | | – | 1 | 10 |
| 8 | औरंगाबाद | 3 | 6 | 7 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 22 |
| 9 | जहानाबाद | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
| 10 | अरवल | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 11 | लखीसराय | – | 3 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 10 |
| 12 | बेगूसराय | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 4 |
| 13 | मुंगेर | – | – | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 14 | जमुई | – | – | 2 | – | 4 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | – | 12 |
| 15 | शेखपुरा | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 9 |
| 16 | खगड़िया | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 17 | सीवान | 3 | 4 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 15 |
| 18 | गोपालगंज | – | – | 3 | – | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 10 |
| 19 | सारण | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 20 | रोहतास | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | – | 14 | 3 | 16 | 5 | – | 1 | 53 |
| 21 | भोजपुर | 1 | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 |
| 22 | पटना | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 11 |
| 23 | कैमूर | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | 6 | – | 5 | – | – | 1 | 20 |
| 24 | नालन्दा | – | 3 | 6 | 1 | 4 | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 20 |
| 25 | बक्सर | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 16 |
| 26 | मुजफ्फरपुर | 3 | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | 13 |
| 27 | बेतिया | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | 16 |
| 28 | वैशाली | 2 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | 14 |
| 29 | मोतीहारी | 3 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 11 |
| 30 | सीतामढ़ी | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 |
| 31 | शिवहर | – | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 8 |
| 32 | सुपौल | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | – | – | 1 | 15 |
| 33 | मधेपुरा | – | 2 | 2 | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | सहरसा | – | – | 1 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
| 35 | पूर्णिया | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 9 |
| 36 | अररिया | – | – | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 5 | 1 | – | – | 13 |
| 37 | कटिहार | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 38 | किशनगंज | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| | **कुल** | **40** | **58** | **73** | **10** | **94** | **11** | **60** | **9** | **74** | **11** | **0** | **13** | **453** |

# परिशिष्ट – IV

## (विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

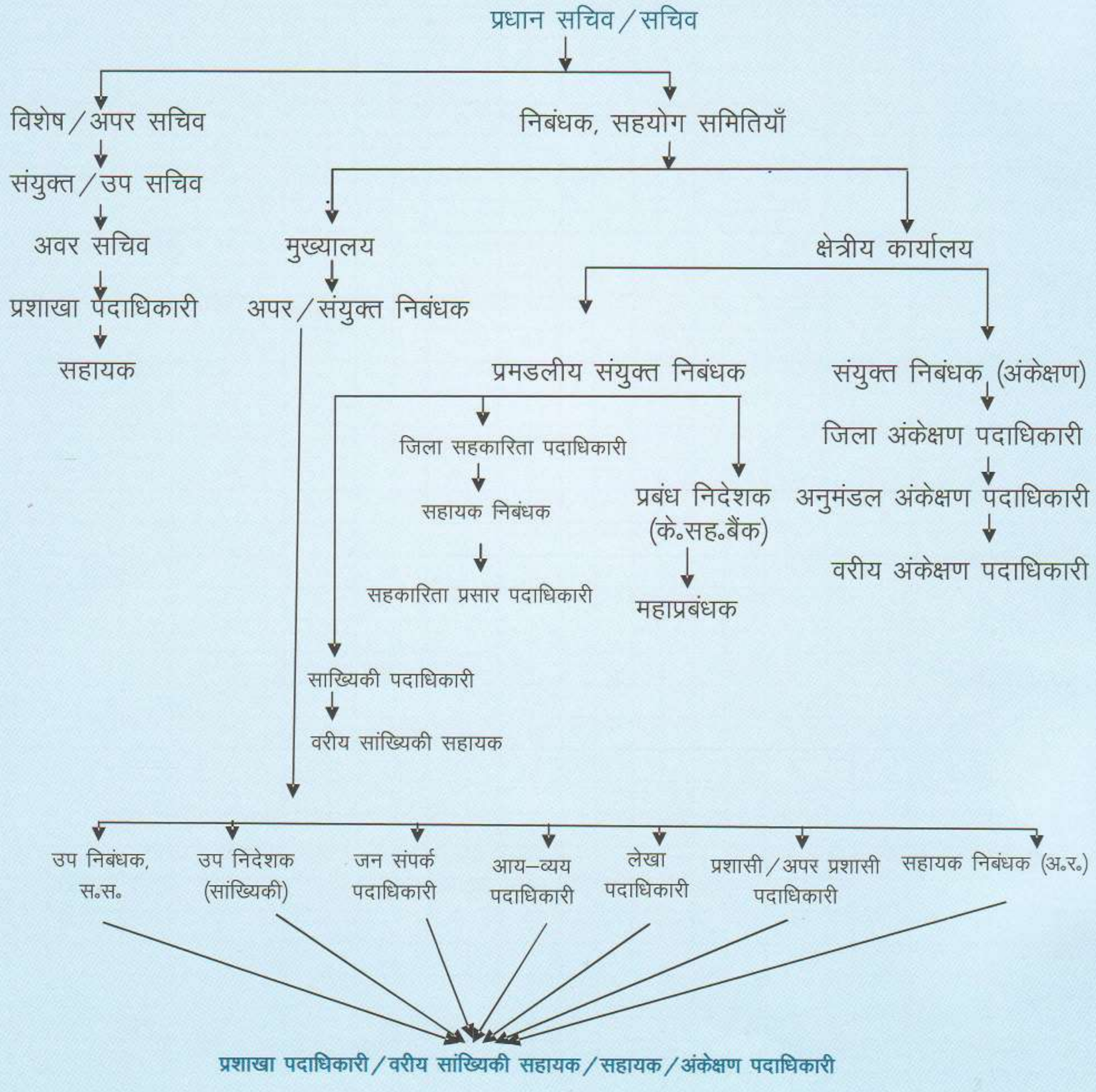

# परिशिष्ट – V

## सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

| प्रमंडल | जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय | प्रमंडल | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना | 1. पटना | 1 पटना सदर<br>2. बाढ़<br>3. पटनासिटी<br>4. दानापुर<br>5. मसौढ़ी | 1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना | 1. पटना |
| | 2. नालन्दा | 6. बिहारशरीफ<br>7. हिलसा | | 2. नालंदा |
| | 3. भोजपुर | 8. आरा | | 3. भोजपुर |
| | 4. बक्सर | 9. बक्सर<br>10. डुमराँव | | |
| | 5. रोहतास | 11. सासाराम<br>12. बिक्रमगंज | | 4. रोहतास |
| | 6. कैमूर | 13. कैमूर | | |
| 2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया | 7. गया | 14. गया<br>15. शेरघाटी | .2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया | 5. गया |
| | 8. जहानाबाद | 16. जहानाबाद | | |
| | 9. अरवल | 17. अरवल | | |
| | 10. औरंगाबाद | 18. औरंगाबाद | | 6. औरंगाबाद |
| | 11. नवादा | 19. नवादा | | 7. नवादा |
| 3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 12. मुजफ्फरपुर | 20. मुजफ्फरपुर पूर्वी<br>21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी | 3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 8. मुजफ्फरपुर |
| | 13. वैशाली | 22. हाजीपुर | | 9. वैशाली |
| | 14. सीतामढ़ी | 23. सीतामढ़ी<br>24. पुपरी | | 10. सीतामढ़ी |
| | 15. शिवहर | 25. शिवहर | | |
| | 16. मोतिहारी | 26. मोतिहारी<br>27. सिकरहना | | 11. मोतिहारी |
| | 17 बेतिया | 28. बेतिया<br>29. बगहा | | 12. बेतिया |

| प्रमंडल | जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय | प्रमंडल | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | 18. दरभंगा | 30. दरभंगा<br>31. बेनीपुर | 4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | 13. दरभंगा |
| | 19. मधुबनी | 32. मधुबनी<br>33. झंझारपुर<br>34. बेनीपट्टी | | 14. मधुबनी |
| | 20. समस्तीपुर | 35. समस्तीपुर<br>36. दलसिंहसराय<br>37. रोसड़ा<br>38. पटोरी | | 15. समस्तीपुर |
| 5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा | 21. सारण | 39. छपरा<br>40. सोनपुर | 5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा | 16. सारण |
| | 22. सिवान | 41. सिवान | | 17. सिवान |
| | 23. गोपालगंज | 42. गोपालगंज | | 18. गोपालगंज |
| 6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर | 24. भागलपुर | 43. भागलपुर<br>44. नवगछिया | 6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | 19. भागलपुर |
| | 25. बांका | 45. बांका | | |
| | 26. मुंगेर | 46. मुंगेर | | 20. मुंगेर |
| | 27. जमुई | 47. जमुई | | |
| | 28. शेखपुर | 48. शेखपुरा | | |
| | 29. लखीसराय | 49. लखीसराय | | |
| | 30. बेगूसराय | 50. बेगूसराय | | 21. बेगूसराय |
| | 31. खगड़िया | 51. खगड़िया | | 22. खगड़िया |
| 7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा | 32. सहरसा | 52. सहरसा<br>53. बीरपुर<br>54. त्रिवेणीगंज | 7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा | 23. सहरसा |
| | 33. सुपौल | 55. सुपौल | | |
| | 34. मधेपुरा | 56. मधेपुरा<br>57. उदाकिशनगंज | | |
| 8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | 35. पूर्णियाँ | 58. पूर्णियाँ | | 24. पूर्णियाँ |
| | 36. अररिया | 59. अररिया | | |
| | 37. किशनगंज | 60. किशनगंज | | |
| | 38. कटिहार | 61. कटिहार | | 25. कटिहार |

Sudha